विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 19 सितम्वर, 2009

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–16/2009–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17–09–2009 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 9) को वर्ष 2009 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव।

————————

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. परिभाषाएं।
3. ऊर्जा के उपभोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण।
4. विद्युत शुल्क का संग्रहण और संदाय।
5. अभिलेख और विवरणियां।
6. निरीक्षण अधिकारी।
7. कतिपय मामलों में शास्तिक शुल्क का संदत्त किया जाना।
8. शुल्क की वसूली।
9. शुल्क के असंदाय पर प्रदाय को काटने की शक्ति।
10. शास्तियां।
11. विद्युत शुल्क के संदाय से छूट देने की शक्ति।
12. निरीक्षण अधिकारियों का लोक सेवक होना।
13. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति।
14. सरकार की पूर्व मंजूरी।
15. नियम बनाने की शक्ति।
16. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।
17. निरसन और व्यावृत्तियां।

2009 का अधिनियम संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 17 सितम्बर, 2009 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत के उपभोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध करने हेतु विधि पुनः अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 है।

2. **परिभाषाएं.––**इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "परिषद्" से निरसित किए गए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 54) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "उपभोक्ता" से कोई व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है, जो ऊर्जा का उपयोग या उपभोग करता है और जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के प्रवर्ग भी हैं;

(ग) विद्युत के सम्बन्ध में "उपभोग" से किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा के.डब्लयू.एच. या के. वी. ए. एच. के रूप में अभिलिखित प्रति किलोवाट/के.वी.ए. विद्युत का उपभोग अभिप्रेत है;

(घ) "ऊर्जा" से विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है;

(ङ) "निरीक्षण अधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "मीटर" से एकीकृत करने वाले उपकरणों का सैट अभिप्रेत है, जिसे प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा या प्रदाय में अन्तर्विष्ट विद्युत ऊर्जा की मात्रा (परिमाण) को, दिए गए समय में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसके अन्तर्गत होल करन्ट मीटर और मीटरिंग उपकरण जैसे कि आवश्यक वायरिंग और उपसाधनों सहित करन्ट ट्रांसफार्मर, केपैसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेनशियल या वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी है;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(झ) "राज्य सरकार" या "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ञ) विद्युत के सम्बन्ध में "प्रदाय" से अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता को विद्युत का विक्रय अभिप्रेत है; और

(त) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 या भारतीय विद्युत नियम,1956 में उनके हैं।

3. ऊर्जा के उपयोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण.——(1) किसी भी स्त्रोत से उत्पादित ऊर्जा, जिसका परिषद्, किसी अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापारी या विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा उपभोग किया गया है या जिसका परिषद्, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी या कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को प्रदाय किया गया है, पर विद्युत शुल्क के नाम से शुल्क,
निम्नलिखित रीति में उद्गृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगाः—

(i) घरेलू उपभोक्ताओं से	——तीन प्रतिशत की दर से,
(ii) गैर—घरेलू गैर—वाणिज्यिक	——तीन प्रतिशत की उपभोक्ताओं से दर से,
(iii) कृषि/सिंचाई या सहबद्ध क्रियाकलाप प्रदाय के उपभोक्ताओं से	——दस प्रतिशत की दर से,
(iv) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से	——आठ प्रतिशत की दर से,
(v) औद्योगिक उपभोक्ता,—	
(क) लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं से	——नौ प्रतिशत की दर से,
(ख) मध्यम दर्जे के और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं से	——तेरह प्रतिशत की दर से,
(vi) वाटर पम्पिंग सप्लाई उपभोक्ताओं से	——दस प्रतिशत की दर से,
(vii) बल्क सप्लाई उपभोक्ताओं से	——दस प्रतिशत की दर से,
(viii) स्ट्रीट लाईटिंग सप्लाई उपभोक्ताओं से	——दस प्रतिशत की दर से,
(ix) टेम्परेरी मीटरड सप्लाई उपभोक्ताओं से	——चार प्रतिशत की दर से,
(x) उपरोक्त खण्ड (i) से (ix) के अन्तर्गत न आने वाले उपभोक्ताओं के अन्य प्रवर्गों से	——दस प्रतिशत की दर से, और

(xi) डीजल जनरेटिंग सैटों द्वारा, (या किसी भी प्रकार की अन्य रीति द्वारा), ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण में प्रयोग हेतु या अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता के अपने उपभोग के लिए केपटिव/स्टैंडबाई हेतु, उत्पादित विद्युत ऊर्जा की दशा में, प्रति यूनिट विद्युत शुल्क। —— तीस पैसे की दर से:

परन्तु प्रत्येक प्रवर्ग के सामने वर्णित प्रतिशतता, केवल ऊर्जा प्रभारों (मीटर किराया, सेवा प्रभारों आदि को अपवर्जित करके) पर लागू होगी।

(2) धारा 3 की कोई भी बात, विद्युत के उपभोग या विक्रय के लिए लागू नहीं होगी जो,—

(क) भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त हो या भारत सरकार या भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों के भीतर अन्य सरकार (सरकारों) को, उस सरकार द्वारा या ऊर्जा सेक्टर में लगी हुई अन्य उपयोगिताओं द्वारा उपभोग हेतु या विक्रय हेतु, विक्रीत की गई हो; या

(ख) भारत सरकार द्वारा किसी रेल के सन्निर्माण, रख—रखाव या चलाने (संचालन) में या उस रेल को चलाने (संचालन करने) वाली रेल कम्पनी द्वारा उपभुक्त हो या उस सरकार या ऐसी किसी रेल कम्पनी को किसी रेल के सन्निर्माण, रख—रखाव या चलाने (संचालन) हेतु उपभोग करने के लिए विक्रय की गई हो; या

(ग) किसी अनुज्ञप्तिधारी या ऊर्जा का उत्पादन करने वाले उपभोक्ता द्वारा, उसके अपने उपभोग के लिए उपभुक्त हो; परन्तु जनरेटर की क्षमता दस किलोवाट से अधिक न हो।

(3) विद्युत शुल्क की संगणना के प्रयोजन के लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, मीटर द्वारा दर्शाई गई खपत, मीटर की प्रथम रीडिंग की तारीख के पश्चात् आरम्भ करते हुए गणना में ली जाएगी।

4. विद्युत शुल्क का संग्रहण और संदाय.——(1) राज्य सरकार का विद्युत शुल्क पर प्रथम प्रभार होगा और न तो परिषद् और न ही कोई अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इस शुल्क का उपयोग किसी भी रकम, जो राज्य सरकार द्वारा परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी/या किसी अन्य अभिकरण को देय हो, की प्रतिपूर्ति स्वयं को करने के लिए करेगा।

(2) परिषद् या विद्युत का उपभोग करने वाले या उपभोग के लिए इसका प्रदाय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी खपत या प्रदाय के क्षेत्र के समस्त उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क का संदाय या संग्रहण, ऐसे प्ररूप में करे और राज्य सरकार को उसका संदाय तिमाही पर या ऐसी रीति में करे, जैसी विहित की जाए।

(3) अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा जनरेटिंग सैटों, चाहे किसी भी रीति (ढंग) से, के माध्यम से, अपने उपभोग के लिए विद्युत ऊर्जा के आबद्ध (केपटिव) या तैयार (स्टैंडबाई) उत्पादन की दशा में विद्युत शुल्क, यदि कोई हो, सम्बद्ध उपभोक्ता द्वारा तिमाही पर, राज्य सरकार के पास विद्युत निरीक्षणालय के माध्यम से, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, सीधे जमा किया जाएगा।

5. अभिलेख और विवरणियां.––(1) यदि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश दे, तो विद्युत का प्रदाय, क्रय, उत्पादन या पारेषण करने वाली परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या कोई व्यक्ति, ऐसा अभिलेख, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रखेगा, जैसी विहित की जाए, जिसमें निम्नलिखित दर्शित हो–

(क) अपने उपभोग के लिए अथवा किसी उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय के लिए उत्पादित, पारेषित या प्राप्त विद्युत के यूनिट;

(ख) किसी उपभोक्ता को प्रदाय किए गए या उसके द्वारा उपभुक्त विद्युत के यूनिट;

(ग) उस पर देय विद्युत शुल्क की रकम और इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा संदत्त या वसूल किया गया विद्युत शुल्क; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

(2) विद्युत का उत्पादन या क्रय करने वाली परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी या कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन ऐसा अभिलेख रखने के लिए निदेश दिया गया है, ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में ऐसे प्राधिकारी (ॲथारिटी) को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए ऊर्जा की मात्रा, मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा, ऐसी रीति में अभिनिश्चित की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

6. निरीक्षण अधिकारी.—(1) राज्य सरकार, धारा 5 के अधीन रखे गए अभिलेख और विवरणियों के निरीक्षण के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता के लिए किसी अन्य अधिकारी को, निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) निरीक्षण अधिकारी, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी विहित की जाएं।

7. कतिपय मामलों में शास्तिक शुल्क का दिया जाना.––(1) यदि निरीक्षण अधिकारी की राय में, यथास्थिति, परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता, शुल्क के संदाय की अपवंचना करता है या अपवंचन करने का प्रयास करता है या जानबूझकर लोप अथवा उपेक्षा करता है, चाहे मिथ्या अभिलेख रखकर या छलसाधन करके या मिथ्या विवरणियां प्रस्तुत करके या उपभुक्त ऊर्जा को छिपाकर या किसी अन्य साधन द्वारा, तो, यथास्थिति, परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यवसायी, उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क के अतिरिक्त शास्ति के रूप में विद्युत शुल्क की राशि के चार गुणा से अनधिक, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा, इस सम्बन्ध में आदेश पारित करके अवधारित की जाए:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी शास्ति, यथास्थिति, परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यवसायी, उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर होगी, जैसी विहित की जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपील में पारित कोई आदेश, विवाद के पक्षकारों पर अन्तिम और आबद्धकर होगा।

(4) इस धारा के अधीन किसी भी शास्ति के संदाय के लिए किया गया आदेश, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, संस्थित किए जा सकने वाले या अधिरोपित किए जाने वाले किसी अभियोजन और अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

8. शुल्क की वसूली.——(1) इस अधिनियम के अधीन देय कोई भी विद्युत शुल्क या धारा 7 के अधीन अधिरोपित शास्ति, जो चाहे किसी उपभोक्ता द्वारा परिषद् को या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को, अथवा परिषद् या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राज्य सरकार को, असंदत्त रहती है, भू–राजस्व की बकाया के रूप में या राज्य सरकार द्वारा परिषद् या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे उपभोक्ता को संदेय रकमों में से कटौती द्वारा, वसूलीय होगी।

(2) जब किसी विद्युत शुल्क या शास्ति की रकम देय हो गई हो परन्तु संदत्त नहीं की गई हो, तो निरीक्षण अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन इस बाबत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, देय रकम की वसूली करने के लिए कलक्टर को आवेदन करेगा, मानो यह भू–राजस्व का बकाया हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन में निम्नलिखित विवरण होंगे–

(i) व्यतिक्रमी का नाम और विवरण;

(ii) बकाया की रकम, जिसकी वसूली अपेक्षित है; और

(iii) परिस्थितियां, जिनके कारण आवेदन आवश्यक हुआ।

(4) आवेदन की प्राप्ति पर कलक्टर, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन रकम को भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की प्रक्रिया आरम्भ करेगा।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या किसी अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी की जंगम (चल) और स्थावर (अचल) सम्पत्ति, किसी भी न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में लिए जाने के लिए तब तक दायी नहीं होगी जब तक, यथास्थिति, परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा संदेय विद्युत शुल्क, राज्य सरकार को संदत्त न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण.– पद "कलक्टर" का वही अर्थ होगा जो हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 में उसका है।

9. जहां उपभोक्ता उस विद्युत की बाबत, जिसका प्रदाय उसे किया गया है,उस द्वारा देय विद्युत शुल्क का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, परिषद् या विद्युत का प्रदाय करने वाला वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कम से कम पन्द्रह दिन का लिखित में नोटिस देने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति के विद्युत प्रदाय को तब तक के लिए काट सकेगा जब तक सम्पूर्ण विद्युत शुल्क संदत्त नहीं कर दिया जाता।

10. शास्तियां.––यदि कोई व्यक्ति–

(क) जिससे धारा 5 के अधीन अभिलेख रखने या विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, उन्हें विहित प्ररूप या रीति में रखने या प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है, या

(ख) किसी निरीक्षण अधिकारी को, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, उसकी शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यपालन में साशय बाधा पहुंचाता है, या

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है,

तो वह ऐसा जुर्माना, जैसा विहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, जो एक लाख रूपए से अधिक नहीं होगा, संदत्त करने के लिए दायी होगा।

11. विद्युत शुल्क के संदाय से छूट देने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार, लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता या व्यक्ति को, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्त के अध्यधीन, जैसी ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, संपूर्ण विद्युत शुल्क या उसके भाग के संदाय से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विद्युत शुल्क की दरों को, किसी एक समय में, धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के पचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

12. निरीक्षण अधिकारियों का लोक सेवक होना.––इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी के बारे में, जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में कोई कार्य कर रहा है या उसका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक है।

13. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति.––इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, किसी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित नहीं की जाएंगी।

14. सरकार की पूर्व मंजूरी.––इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

15. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) धारा 3 और 4 के अधीन विद्युत शुल्क के संदाय तथा संग्रहण की रीति;

(ख) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख अनुरक्षित रखा जाएगा;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन विशिष्टियों का विहित किया जाना;

(घ) विवरणियां प्रस्तुत करने की रीति और प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसे धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इन्हें प्रस्तुत किया जाना है;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्त्तव्य;

(च) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसे अपील की जाएगी, अवधि जिसके भीतर अपील की जाएगी और ऐसी अपील को दाखिल करने के लिए फीस;

(छ) प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसके द्वारा धारा 10 के अधीन जुर्माना अवधारित किया जाना है ;और

(ज) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है या जिसे विहित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व, विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है या यह निर्णय लेती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.––(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगाः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

17. निरसन और व्यावृतियां.––(1) हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 (1975 का 11) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई बात या कार्रवाई, उद्गृहीत किया गया विद्युत शुल्क, बनाया गया नियम, जारी की गई अधिसूचना, किया गया निरीक्षण, किया गया आदेश या जारी किया गया नोटिस, जहां तक यह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बना रहेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम, उस तारीख जिसको ऐसी बात या ऐसी कार्रवाई की गई थी, प्रवृत्त था, जब तक इसे इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिक्रान्त नहीं कर दिया जाता और इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन देय विद्युत शुल्क और अन्य रकम संगृहीत की जा सकेगी मानो यह इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत हुई हो।